उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
संख्या– 134/ XXII / 2015–4(11)2014
दिनांक 23 फरवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय सूचना विभाग में सोशल मीडिया और साइबर स्पेस में विज्ञापनों का प्रकाशन/राज्य सरकार की नीतियों, सूचनाओं एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
सोशल मीडिया और वेबसाइट विज्ञापन नियमावली–2015

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –**

(क) इस नियमावली का नाम "उत्तराखण्ड सोशल मीडिया और वेबसाइट विज्ञापन नियमावली *2015" होगा।*

(ख) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं –

जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस में–

(क) **'सरकार'** से तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ख) महानिदेशक, अपर निदेशक, एक अन्य पदनामों से तात्पर्य महानिदेशक अथवा अपर निदेशक अथवा अन्य पदनाम सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड में धारित पदों से है,

(ग) सोशल मीडिया से तात्पर्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ब्लॉग, माइको ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग तथा वीडियो शेयरिंग साइटों एवं विकी (Wikis) से है,

(घ) फेसबुक से तात्पर्य www.facebook.com सोशल नेटवर्किंग साइट से है। पेज का अर्थ facebook page से है,

(ड.) ट्विटर से तात्पर्य www.twitter.com माइको ब्लॉग से है,

(च) यू–ट्यूब से तात्पर्य www.youtube.com वीडियों शेयरिंग वेबसाइट से है,

(छ) वेब पोर्टल या साइट अथवा वेबसाइट से तात्पर्य एक वेब डोमेन (Web Domain) से जुड़े हुए वेब पेजों का संकलन है जो इण्टरनेट के माध्यम से संचालित होते हैं। प्रत्येक बेवसाइट का एक URL (Uniform resource locator) होना आवश्यक है तथा यह World wide web का एक भाग हो।

3. उद्देश्य –

(क) फेसबुक, ट्विटर और यू–ट्यूब एवं अन्य कोई सोशल नेटवर्क जिसे महानिदेशक निर्धारित करें, के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना।

(ख) इण्टरनेट वेबसाइटों पर सरकार के कार्यक्रमों, सूचनाओं एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दिशा–निर्देश एवं नियम प्रवर्तित करना।

4. **सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार :–**

(क) सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कमेटियां संचालित की जायेंगी :–

(A) कार्यकारी समिति (Executive Committe) जो प्रत्येक तीन माह में एक बार सोशल मीडिया पर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगी और आगामी माहों की कार्य योजना स्वीकृत करेगी। उच्चस्तरीय कमेटी का गठन निम्नवत् होगा :–

1. महानिदेशक, सूचना – अध्यक्ष
2. अपर निदेशक – सदस्य
3. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक प्रभारी सोशल मीडिया– सदस्य सचिव
4. नोडल आफिसर कन्टेट कमेटी – सदस्य

(B) कंटेंट कमेटी (Content committee) जो प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखेगीं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति की सूचना तत्काल उच्च स्तरीय समिति के संज्ञान में लाने हेतु अधिकृत होगी। Content committee का गठन निम्नवत् होगा :–

1. संपादक/प्रभारी Social media Team (नोडल अधिकारी)
2. सहायक निदेशक/सूचना अधिकारी मा0 मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट
3. सूचना अधिकारी राजभवन (केवल महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रमों से संबंधित)
4. फोटो एवं फिल्म अधिकारी।

(ख) विभाग द्वारा नियुक्त "Social media Team", जो कि विभागीय कार्मिकों से अथवा Outsourse के माध्यम से गठित की जायेगी, द्वारा दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया एकाउंट/पेज का संचालन उच्च स्तरीय कमेटी/महानिदेशक, सूचना के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

(ग) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि कंटेंट टीम को विभिन्न विभागों की कल्याणकारी सूचनाएं/योजनाएं आदि नियमित रूप से प्राप्त होती रहें।

(घ) तीन माह में एक बार महानिदेशक सूचना, सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक आयोजित कर उत्तराखण्ड सरकार की सोशल मीडिया पर उपस्थिति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

(ड.) सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और यू–ट्यूब प्लेटफार्म प्राथमिकता पर लिये जायेंगे। अन्य कोई नेटवर्क जिसे महानिदेशक उचित समझें भी सम्मिलित किया जा सकता है।

5. **वेबसाइटों पर प्रचार–प्रसार :–**

(क) प्रचार–प्रसार सम्बन्धी बेवसाइटों का वर्गीकरण निम्नवतः होगा :–

(A) श्रेणी ए वेबसाईटें जो निविदा के माध्यम से निर्धारित दरों सहित सूचीबद्व हो।

(B) श्रेणी ए के अतिरिक्त निविदा के माध्यम से निर्धारित दरों सहित सूचीबद्ध अन्य सभी वेबसाइटें।

(ख) श्रेणी A वेबसाइटों के लिए

1. बेवसाइट न्यूनतम 3 वर्ष पुरानी हो तथा समान नाम व समान Ownership में तीन वर्ष से सक्रिय हो।
2. बेवसाइट की Minimum Average Unique Visitor (उत्तराखण्ड में) संख्या प्रति माह (सूचीबद्धता से ठीक तीन माह पूर्व के आंकड़ो के आधार पर) 10000 से कम न हो।
3. बिन्दु संख्या 2 के संबंध में वेबसाइट के यूनिक यूजर बेस का निर्धारण गूगल एनालिटिक डाटा के आधार पर होगा और वेबसाइटों को यह डाटा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को नियमित रूप से प्रदान करना होगा। यह डाटा वेबसाइट आडिटर्स द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। सूचना विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उस डाटा की जांच करा सकता है।
4. केवल उन्हीं वेबसाइट को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनका संचालन उत्तराखण्ड में पंजीकृत कम्पनियों/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो तथा यह पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना हो।
5. सरकारी वेबसाइटें स्वतः सूचीबद्ध मानी जायेंगी, यदि वे सूचना विभाग की दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हों।
6. वेबसाइट पर कोई अश्लील सामग्री या भारत की अथवा राज्य सरकार के किसी विधान/कानून का उलंघन करने वाली सामग्री का संज्ञान लिए जाने पर सूचीबद्धता निरस्त कर दी

जायेगी तथा ऐसी किसी भी स्थिति में समस्त कानूनी, वैधानिक जवाबदेही सम्बधित वेबसाइट एवं उसके संचालक की ही होगी, सूचना विभाग की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

7. द्वि निविदा (Two Bid) प्रणाली के माध्यम से वेबसाइट को सूचीबद्ध करने एवं दर निर्धारण की कार्यवाही होगी। तकनीकी निविदा हेतु उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 से 6 तक की शर्तें तथा अन्य कोई शर्त जिसे उच्च स्तरीय समिति/महानिदेशक अनिवार्य समझें स्थापित की जायेंगी।

वित्तीय निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी:–

7 (एक) विभाग द्वारा केवल Standared Size Web Banners (वेब बैनर) के रूप में Display विज्ञापन दिया जायेगा। विभाग वेबसाइटों को वेब बैनर्स के लिए प्रतिमाह एकमुश्त दर देना प्रस्तावित करेगा जिसके अधीन वेबसाइट को 24×7 प्रतिमाह निरंतर वेब बैनर डिस्प्ले रखना होगा। यह दरें दैनिक आधार पर प्रोराटा होंगी।

7 (दो) यूनीक यूजर बेस (उत्तराखण्ड राज्य के आधार पर) वेबसाइटों को नियमानुसार श्रेणियों में विभाजित करता है :–

समूह 'क'	–	25001 (पच्चीस हजार एक) यूनीक विजिटर्स प्रतिमाह से अधिक।
समूह 'ख'	–	15001 (पन्द्रह हजार एक) से 25000 (पच्चीस हजार) यूनीक विजिटर्स प्रतिमाह।
समूह 'ग'	–	10000 (दस हजार) से 15000 (पन्द्रह हजार) यूनीक विजिटर्स प्रतिमाह

7 (तीन) वेबसाइटों द्वारा वेब बैनरों के लिए प्रतिमाह एक मुश्त दर TOP, BOTTOM, & SIDE Positions के लिये प्रति बैनर साइज घोषित की जायेगी। बैनरों की तीन साइज 728×90 पिक्सल तथा 468×60 पिक्सल और 180×150 पिक्सल हेतु दरें आमंत्रित की जायेंगी।

7 (चार) किसी भी बैनर साइज के लिए घोषित न्यूनतम दर (ग्रुप वार) उस ग्रुप के लिए आधार दर (Base Rate) मानी जायेगी। आधार दर पर सूचीबद्धता हेतु क्रमशः उस ग्रुप में न्यूनतम दरें घोषित करने वाली वेबसाइटों को आमंत्रित किया जायेगा, जो इस दर पर सूचीबद्धता हेतु सहमत हों (Principle of first offer to lowest rate offering Websites)। परन्तु किसी भी ग्रुप में अधिकतम 10 वेबसाइटों को एक वर्ष हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा। नियमावली प्रवृत्त होने के उपरांत प्रथम वर्ष की सूचीबद्धता के अनुभव के आधार पर उच्च स्तरीय समिति/महानिदेशक ग्रुपवार वेबसाइटों की अधिकतम संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं।

7 (पांच) किसी भी ग्रुप में Base Rate आधार दर को अस्वीकार करने का अधिकार महानिदेशक का होगा।

7 (छः) एकमुश्त मासिक दरों में नियमानुसार लागू सरकारी करों को छोड़कर सभी व्यय समाहित होंगे, जिसमें विज्ञापन डिजायन निर्माण भी सम्मिलित है।

6. सूचीबद्ध वेबसाइटों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से महानिदेशक भविष्य में कोई उपयुक्त मानक लागू कर सकते है।

7. (एक) यदि न्यूनतम यूनिक यूजर संख्या (10000 प्रतिमाह) सूचीबद्धता के उपरान्त लगातार तीन माह कम पायी जाती है तो सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

(दो) यूनिक यूजर संख्या में वृद्धि होने या कमी पाये जाने पर ग्रुप की अधिकतम संख्या के भीतर, वेबसाइट को नये ग्रुप की सदस्यता उस ग्रुप के बेस रेट पर दी जा सकती है।

(तीन) वेबसाइट सूचना विभाग की घोषित दरों से कम किसी अन्य दर पर कोई विज्ञापन नहीं चलायेंगे, ऐसा उन्हें लिखित घोषणा पत्र देना होगा।

9. **श्रेणी B वेबसाइटों तथा सोशल मीडिया में प्रचार–प्रसार के लिए**

विभाग द्वारा श्रेणी B वेबसाइटों तथा सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार के लिए Outsource के माध्यम से संस्था/एजेन्सी नियुक्त की जायेगी। Outsource की जाने वाली एजेंसी के लिए आवश्यक अर्हताएं महानिदेशक, सचूना द्वारा निर्धारित की जायेगी।

10. **फेसबुक पर प्रचार हेतु :**

1– (एक) विभाग द्वारा यदि फेसबुक एकाउंट/पेज संचालन के लिए outsourced agency की सेवाएं ली जाती है तो उत्तराखण्ड अँधिप्राप्तिं नियमावली के अनुरूप एजेन्सी का चयन मासिक एक मुश्त दरों पर किया जायेगा। इन दरों में एजेन्सी द्वारा account creation तथा संचालन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट व्यय, मानव संसाधन पर व्यय आदि सभी कुछ सम्मिलित होगा।

1– (दो) यदि विभाग द्वारा किसी फेसबुक पेज को भुगतान आधार पर प्रमोट किया जाना हो तो यह कार्य outsourced agency के माध्यम से होगा, जिसकी दरें निम्नानुसार आमंत्रित की जायेंगी :–

(एक) जनसांकिकीय क्षेत्र (demographic area) वार प्रति हजार Likes की दर।

(दो) जनसांकिकीय क्षेत्र (demographic area) वार प्रति हजार reach की दर।

इन दरों पर कार्य करने वाली outsourced agency विभाग को अनुश्रवण हेतु facebook insight analyst rights उपलब्ध करायेगी। आवश्यकता पडने पर विभाग द्वारा third party agency की सेवाएं जी जा सकती है।

2– twitter के लिए उक्त बिन्दु 1 (i) के अनुसार एक मुश्त दरें आमंत्रित की जायेंगी।

3– youtube के लिए उक्त बिन्दु 1 (i) के अनुसार एक मुश्त दरें आमंत्रित की जायेंगी।

4— श्रेणी B वेबसाइटों के लिये –

(एक) Cost per mille या Cost per thousand impressions (CPTI) डिस्पले विज्ञापन बैनर्स के लिये।

(दो) वीडियो एड के लिए Cost per view/ (CPV)

(तीन) Text ad के लिए Cost per click/(CPC)

(चार) यह दरें डेस्कटॉप और मोबाईल साइटों दोनों के लिये है।

(पांच) एजेन्सी द्वारा घोषित दरों मे एड सर्वर को होने वाले भुगतान के अतिरिक्त विज्ञापन निर्माण व डिजाईन तथा संपादन का व्यय सम्मिलित होगा।

(छः) एजेन्सी द्वारा विभाग को एड सर्वर के admin dashboard तथा अन्य एकाउंट डिटेल के विवरण देने होंगे जिसके लिए एजेन्सी द्वारा CPTI /CPV/CPC के दावे का सत्यापन किया जा सके। इसके लिए आवश्यकता पडने पर थर्ड पार्टी (third party agency) की सेवाएं भी ली जा सकती है।

11. विधिक परिवर्तन

(एक) नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक गतिविधि भारत सरकार के आई टी एक्ट 2000 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार संचालित/प्रस्तावित की जायेगी।

(दो) भविष्य में यथा आवश्यकता उपरोक्त नीति में काई संशोधन/शिथिलीकरण विभागीय मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 134 / XXII / 2015–4(11)2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
3. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ / गढवाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियम प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपल का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार
उप सचिव।